



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267157
CG-DL-E-27102025-267157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4695]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4695]

NEW DELHI, FRIDAY, 24 OCTOBER, 2025/KARTIKA 2, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4839(अ).— श्री प्रदीप आचार्य, सक्षम प्राधिकारी, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना (एनईजीजी), इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल), त्रिपुरा राज्य, और संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग एवं आर.आर.डी.एम, त्रिपुरा सरकार, के सेवानिवृत्त होने पर और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा), भारत सरकार एतद्वारा, श्री सुब्रत दत्ता, टीसीएस ग्रेड-I, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, त्रिपुरा राज्य में इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/14/2023-जीपी-2 (ई-46938)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025.

S.O. 4839(E).— Upon retirement of Shri Pradeep Acharjee, Competent Authority for North East Gas Grid (NEGG) Project of Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) in the State of Tripura and Joint Secretary, Revenue Department & RRDM, Government of Tripura and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Sh. Subrata Dutta, TCS Gr-I, Joint Secretary, Revenue Department, Government of Tripura, to perform the functions of Competent Authority, Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) in the state of Tripura under the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

{F. No. L-14014/14/2023-GP-II (E-46938)}

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.